

ANNX-2

परिशिष्ट-1
प.क. 6017

प्रतिपत्रण
पृष्ठ क्रमांक

XVI(9)-212
पुलिस हिन्दी

8352

फार्म नं. 1

प्रथम सूचना प्रतिवेदन (धारा 154 दं. प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Sec. 154 Cr.P.C.) 31

*जिला सीकर *थाना 21 टोलगाछ *वर्ष 2015 *प्रसू.क्र. 115 *दिनांक 25/2/15

- (1) *विधान 21 टोलगाछ धाराएं 420/465/467/476
- (2) *विधान धाराएं
- (3) *विधान धाराएं
- (4) *अन्य विधान एवं धाराएं

(अ) संदर्भित रोजनामचा सान्ना क्र. *दिनांक 20/10/14 *समय रात

(ब) घटना का दिन 25/2/15

(स) थाने पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 25/2/15 समय 10:20 सेकेंड

सूचना का प्रकार : लिखित / मौखिक

घटना स्थल : (अ) थाने से दिशा व दूरी 1/2 km

(ब) घटना स्थल का पता कृष्णासिंह जमनाल अण्डावा राहल अण्डा

(स) घटना स्थल अन्य थाना क्षेत्राधिकार है तो थाना 9 जिला 7

अभियोगी / सूचनाकर्ता : (अ) नाम श्री विक्रम कुमार

(ब) पिता / पति / पालक का नाम श्री अण्डावा

(स) जन्म दिनांक / वर्ष 3.6.1978 (द) राष्ट्रीयता भारतीय

(द) पासपोर्ट नं. 56 जारी दिनांक 4 जारी होने का स्थान 4

(क) व्यवसाय कृषि कार्य पता मुकुंद काम पाठक

सम्बद्ध अज्ञात / संदिग्ध / आरोपी का पूर्ण विवरण (आवश्यकतानुसार पृथक् पृष्ठ का प्रयोग करें)

अज्ञात / संदिग्ध / आरोपी का पूर्ण विवरण (आवश्यकतानुसार पृथक् पृष्ठ का प्रयोग करें)

अभियोगी / सूचनाकर्ता द्वारा सूचना दिये जाने में विलम्ब का कारण 3 घंटे के लिए

अपहृत / सम्बद्ध सम्पत्ति का पूर्ण विवरण (आवश्यकतानुसार पृथक् पृष्ठ का प्रयोग करें)

अपहृत सम्बद्ध सम्पत्ति का कुल मूल्य

*मात्र अकाल मूल्य सूचना क्रमांक (यदि हो) 7

प्रथम सूचना विवरण (आवश्यकतानुसार पृथक् पृष्ठ का प्रयोग करें)



कार्यालय कलेक्टर जिला सागर (म.प्र.)

क्रमांक /
प्रति,

स्थापना वि०लि०-1/2015

सागर दिनांक /12/2015

प्रमुख राजस्व आयुक्त,
मध्यप्रदेश भोपाल

विषय-

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1876 द्वारा श्रीमती गारुल साहू केशरी।

सन्दर्भ-

प्रमुख राजस्व आयुक्त मध्यप्रदेश भोपाल का पत्र क्रमांक 1876 /स्था./प्र.रा.आ./
2015/7161 भोपाल दिनांक 27.11.2015

उक्त विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1876 के उत्तर की जानकारी अनुविभागीय अधिकारी राहतगढ़ से प्राप्त की गई जिसके आधार पर जानकारी तैयार कर आपकी ओर निम्नानुसार प्रेषित है:-

प्रश्न	उत्तर
(क)-क्या वर्ष 2015 में सागर जिले के राहतगढ़ अनुविभागीय अधिकारी के अधीनस्थ कार्यालय में एक महिला की फर्जी नियुक्ति की जाकर संबंधित उम्मीदवार को कर्तव्य पर उपस्थित कराया गया था?	(क)-सागर जिले के राहतगढ़ अनुविभागीय अधिकारी के अधीनस्थ कार्यालय तहसीलदार राहतगढ़ में किसी भी महिला की फर्जी नियुक्ति नहीं की गई है। शेष निरंक है।
(ख)-प्रश्नाशक्ति में वर्णित कर्मचारी के लिए जारी फर्जी आदेश अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील राहतगढ़ के कार्यालय में बनाया गया था? जिसके द्वारा बनाया गया था और वह कर्मचारी उक्त कार्यालय में कब से पदस्थ था? इस कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?	(ख)-प्रश्नाशक्ति में संबंधित जानकारी निरंक है।
(ग)-दोनों दोषी कर्मचारियों द्वारा कुल राजस्व के एवं जनपद के कितने प्रकरण तैयार किये गये थे और इनमें से कितने प्रकरणों पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी? क्या इसकी जांच जिले में पदस्थ किसी अन्य अधिकारी से करायी जाकर कार्यवाही की जावेगी?	(ग)-जानकारी निरंक है।

पु०क्रमांक /
प्रतिलिपि:-

/ स्थापना वि०लि०-1/2015

डिप्टी कलेक्टर
सागर
सागर दिनांक /12/2015

कमिश्नर, सागर सभाग सागर की ओर सूचनाथ प्रेषित।

सागर